


पुस्तकालय में रखें
आदि के ह. सा.क.



5

C.F. 152 - 1

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रक्र 0 12009 पुनरीक्षण

R- 512-III/09

श्री एत. के. लाजपत सिंह एवम्
द्वारा आज दि. 11-5-09 को प्रस्तुत।
अपने अधिकार
राजस्व मण्डल में अ. प्र. म. सं. 1/09

- 1- पन्नालाल
 - 2- हौटेलाल
 - 3- सिरदार
- } तीनों पुत्राण शोभाराम तैली
- निवासीगण ग्राम गुढा मीजा रायपुर तहसील
पौरसा जिला मुरेना ----- आवेदकगण
विश्व
सियाराम पुत्र रामवरण तैली, निवासी ग्राम
गुढा मीजा रायपुर तहसील पारसा जिला
मुरेना ----- अनावेदक

अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरेना द्वारा प्रकरण क्रमांक 731/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-2-2009 के विश्व पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म.प्र. राजस्व संहिता 1959.

महोदय,
21.11.2009
97-4-2009

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं :-

- (1) यह कि अपर आयुक्त महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है।
- (2) यह कि अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के अफिस पर आधारित तथा न्यायोचित आदेश को निरस्त करने में अपने विचारवाधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है।

(3) यह कि अनावेदक द्वारा दिया गया मूल आवेदन पूर्णतः मिथ्या

Handwritten signature/initials.

5